प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। एस.पी.एस.ई. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2020 तक, हरियाणा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 34 सरकारी कंपनियों (पांच[1] निष्क्रिय[2] सरकारी कंपनियां) और दो सांविधिक निगमों[3] सहित कुल 36 एस.पी.एस.ई. थे। दो एस.पी.एस.ई.[4] स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे। इस प्रतिवेदन में उन सात एस.पी.एस.ई. के परिणाम शामिल नहीं हैं जो निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थीं या जिनके प्रथम लेखे[5] प्राप्त नहीं हुए थे। शेष 29 एस.पी.एस.ई. से संबंधित आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त उनके नवीनतम लेखाओं पर आधारित हैं।

2. 31 दिसंबर 2020 को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर एस.पी.एस.ई. का वित्तीय निष्पादन इस रिपोर्ट में शामिल है। एस.पी.एस.ई. की प्रकृति और लेखाओं की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1: रिपोर्ट में शामिल एस.पी.एस.ई. की प्रकृति

एस.पी.एस.ई. की प्रकृति	एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त लेखाओं की संख्या						एस.पी.एस.ई. की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2020 तक बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2019-20 के लेखे	2018-19 के लेखे	2017-18 के लेखे	2016-17 के लेखे	2015-16 के लेखे	कुल	
सरकारी कंपनियां	28	9	8	3	4	2	26	18(30)
सांविधिक निगम	2	0	2	0	0	0	2	2(2)
सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	6	1	1	0	0	0	2	4(7)
कुल कार्यरत एस.पी.एस.ई.	**36**	**10**	**11**	**3**	**4**	**2**	**30**	**24(39)**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में प्राप्त वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित।

---

1 हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा खनिज लिमिटेड तथा सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड।

2 निष्क्रिय एस.पी.एस.ई. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

3 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम।

4 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

5 फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

21 कार्यरत एस.पी.एस.ई. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 975.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आठ एस.पी.एस.ई. ने ₹ 38.10 करोड़ का घाटा उठाया।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहले लेखापरीक्षक को नि.म.ले.प. द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है और यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, नि.म.ले.प., धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकते हैं और ऐसी परीक्षण लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय

विवरणों सहित अन्य बातों के साथ नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है तथा पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

एस.पी.एस.ई. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है और तैयार होने के बाद नि.म.ले.प. द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करनी अपेक्षित है और वह वार्षिक आम बैठक पिछली/अंतिम वार्षिक आम बैठक के 15 महीने के भीतर आयोजित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार और विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन एस.पी.एस.ई. के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल एस.पी.एस.ई. में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग पर भी नज़र रखता है। इसके लिए, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारितानुसार राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों

के प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के एस.पी.एस.ई. में निवेश

7. हरियाणा सरकार का एस.पी.एस.ई. में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सा है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

- **शेयर पूंजी और ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अलावा, हरियाणा सरकार समय-समय पर एस.पी.एस.ई. को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता** - हरियाणा सरकार जरूरत पड़ने पर एस.पी.एस.ई. को अनुदान और परिदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **गारंटी** - हरियाणा सरकार वित्तीय संस्थानों से एस.पी.एस.ई. द्वारा प्राप्त ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

8. 31 मार्च 2020 को एस.पी.एस.ई. में हरियाणा सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: एस.पी.एस.ई. में हरियाणा सरकार का क्षेत्रवार निवेश

सैक्टर का नाम	कार्यरत सरकारी कंपनियां	कार्यरत सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹ करोड़ में)		
				इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	4	0	4	35,128.48	8.65	35,137.13
वित्त	4	1	5	302.22	0	302.22
सेवा	10	0	10	67.02	0	67.02
मूलभूत संरचना	5	0	5	211.18	324.68	535.86
अन्य	4	1	5	9.78	8.15	17.93
कुल	**27**	**2**	**29**	**35,718.68**	**341.48**	**36,060.16**

स्रोत: एस.पी.एस.ई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। विद्युत क्षेत्र को कुल ₹ 36,060.16 करोड़ के निवेश में से ₹ 35,137.13 करोड़ (97.44 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ।

तथापि, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संसाधित हरियाणा सरकार के निवेश से अन्येतर निवेश सहित कुल निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1: एस.पी.एस.ई. में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

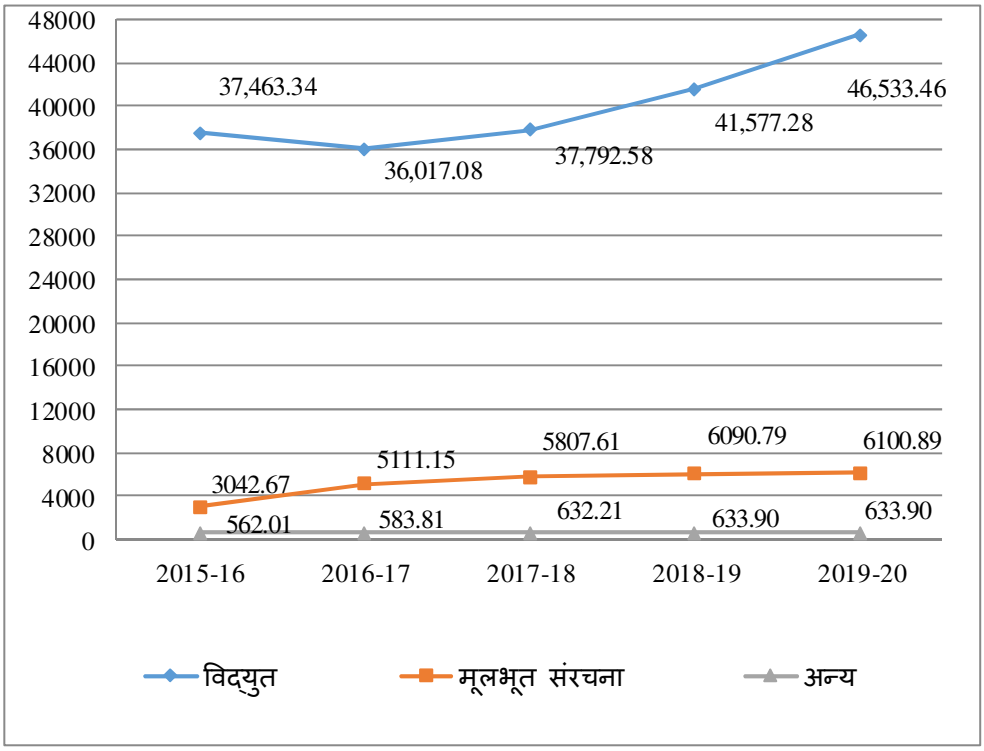

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम अध्याय-1 में विद्युत क्षेत्र के चार एस.पी.एस.ई. की कार्य पद्धति की पेन पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस प्रतिवेदन में निम्नानुसार छः अध्याय हैं:

अध्याय-1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-3: नि.म.ले.प. की पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय-4: कॉरपोरेट गवर्नेंस

अध्याय-5: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

अध्याय-6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

इस प्रतिवेदन पर 20 जुलाई 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव (वित्त)-सह-प्रशासनिक सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो, हरियाणा और संबंधित एस.पी.एस.ई. के प्रबंध निदेशकों/प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। सरकार और एस.पी.एस.ई. के प्रबंधन के दृष्टिकोण पर विधिवत विचार किया गया है और उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।